न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 76/2017

हेमन्त शर्मा पुत्र विजय प्रकाश शर्मा निवासी थाखा जी की गली ब्रम्ह अखाडे के पास टोडारायसिंह जिला टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 23.11.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

राशन कार्डो से संबंधित निम्न नियमावलियां,आदेशो,दिशा–निर्देशो की सूचना प्रतिलिपियां भ्रष्टाचार निवारनार्थ लोकहित मे देने की कृपा करे।

1–गलत राशन कार्ड बनवाने पर देय सजा के संबंध मे अधिनियम की धारा 3/7 की प्रति।

2–राशन कार्ड के निर्माण मे आवश्यक होने वाले दस्तावेजो की सूची की प्रति।

3–राशन कार्ड के संबंध मे समस्त नियमावलियो की प्रति।

4–एक व्यक्ति द्वारा निर्मित किये जा सकने वाले वैध राशन कार्डो की संख्या की सूचना प्रति।

5–गलत राशन कार्ड निर्मित कर राशन सामग्री प्राप्त करने वालो के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही के नियमो,प्रावधानो,आदेशो,प्रावधानो की सूचना प्रति।

6–महिला को राशन कार्ड जारी करने के संबंध(पति के जीवित) मे नियमो,आदेशो,प्रावधानो की सूचना की प्रति।

7–गलत राशन कार्ड जारी करने वाले अधिकारियो के खिलाफ आपको कार्यवाही के लिये उच्च अधिकारियो से प्राप्त आदेशो,निर्देशो की प्रति।

चाही गई सूचनाओ का जनहित मे अत्यधिक महत्व है। आमजन को जागरूक करना सूचना प्राप्ति का प्रमुख उद्देश्य है। यदि सूचनाये आपके विभाग की वेबसाईट पर है तो निवेदन है कि वहां से सूचनाये एकत्रित कर भिजवाने की कृपा करे। बिन्दूवार सूचना प्रेषित करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र कमांक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर

1752 दिनांक 07.11.2017 व 1838 दिनांक 16.11.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 964 दिनांक 13.11.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 58 दिनांक 08. 11.2017 से बिन्दू संख्या 1,5,7 की सूचना भिजवाई गई है तथा बिन्दू संख्या 2,3,4 व 6 की सूचना 20 रूपये शुल्क जमा करवाकर लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक से सूचना प्राप्त करे।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक